कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक:स्था./2025/ 38 दिनाँक: 29-04-2025

रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मुझ उमेश वीर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा** द्वारा माह मई, 2025 में पडने वाले अवकाशों के दिन दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य(जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना-पत्र एवं अन्य आवश्यक न्यायिक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	**श्रीमती मधु शर्मा**	**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-02 लालसोट**	**04 मई, 2025**
02	**श्रीमती रोमा भाटिया**	**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई**	**10 मई, 2025**
03	**श्रीमती ऋतु चंदानी**	**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या-01 लालसोट**	**11 मई, 2025**
04	**श्रीमती शशि**	**अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,बांदीकुई**	**18 मई, 2025**
05	**अनीता चौधरी**	**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय**	**24 मई, 2025**
06	**सीमा मीना**	**न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा**	**25 मई, 2025**
07	**सुश्री नीतू भारद्वाज**	**अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा**	**29 मई, 2025**

निर्देश:- 01- अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 10.30 ए.एम. से 01.00 पी.एम. तक रहेगा।

02-विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

03-अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04-यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05-नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

-Sd-
(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- 1269 **दिनाँक:-** 29-04-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
03- श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
04- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री
05- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
06- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
07- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
08- उप- निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
09- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
10- जिला कारागृह दौसा
11- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
12- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

उमेश वीर
(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner